न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 125/2023
अनवान : –

1. रविन्द्र कुमार पुत्र कालुराम उर्फ शंकरलाल जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. ताराचन्द पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. कलावती पत्नी हनुमान सिंह जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र रामलाल जाति मेघवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा।
2. रणवीर सिंह पुत्र रामलाल जाति मेघवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा।
3. शिव कुमार पुत्र रामलाल जाति मेघवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा।
4. सन्तोष पुत्री रामलाल जाति मेघवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा।
5. शान्ति देवी पत्नी महावीर प्रसाद जाति मेघवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा।
6. विनोद कुमार पुत्र लिलाधर शीला जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
7. सुनीता पत्नी शिशपाल जाति मेघवाल निवासी कलाना तहसील भादरा।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
9. उप पंजीयक कार्यालय खुंईया तहसील नोहर।

–असल गैरसायलान

10. कृष्णा पुत्री कालुराम उर्फ शंकरलाल जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
11. कान्ता पुत्री कालुराम उर्फ शंकरलाल जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
12. मन्जु पुत्री कालुराम उर्फ शंकरलाल जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
13. विरमा पुत्री कालुराम उर्फ शंकरलाल जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
14. रजीराम पुत्र कालुराम उर्फ शंकरलाल जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
15. सरस्वती पत्नी कालुराम उर्फ शंकरलाल जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
16. धर्मपाल उर्फ पालाराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
17. रमेश पुत्र हनुमान प्रसाद जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
18. सरोज पुत्री हनुमान सिंह पत्नी गोरवपासिंह जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर हाल जयपुर।

– तरतीबी गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **सायलान**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 14/08/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तह[illegible] आशय का पेश किया है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता [illegible] राम पुत्र लालुराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील [illegible] क्त खातेदारी क[illegible]श्त की भूमि हनुमानसिह पुत्र कालुराम, तारूराम, पालाराम पुत्र[illegible] रूघाराम जाति जा[illegible]सी गोरखाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.19 18:05:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

तहसील नोहर को 7000/- रूपये सात हजार जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 26.03.1971 को फरोख्त कर दी तथा किरताराम विक्रेता अपनी खातेदारी भूमि का कब्जा काश्त हनुमान सिंह आदि क्रेतागण को मौका पर सौंप दिया तथा उक्त भूमि पर क्रेतागण का सन 1971 से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वे वादग्रस्त भूमि के खरीद शुदा खातेदार काश्तकार है। क्रेतागण हनुमानसिंह, कालुराम, तारूराम व पालाराम पुत्रगण रूघाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर खरीद के वक्त से लगातार काश्त करते आ रहे है क्रेतागण हनुमान सिंह आदि की खरीद शुदा भूमि पुराने ख0न0 107 की 50 बीघा 9 बिस्वा हाल ख0न0 127 की 10.10 बीघा, 122 की 40.10 बिस्वा भूमि कुल 51 बीघा में परिवर्तित हो चुकी है। खरीददार हनुमानसिंह आदि के वारिसान सायलान व तरतीबी गैरसायलान है जो की रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के ख0न0 127 की 10.10 बीघा व ख0न0 122 की 40 बीघा 10 बिस्वा, कुल 51 बीघा भूमि नये माप हैक्टर में खाता स0 317/316 के ख0न0 122/2 की 8.3340 हैक्ट, ख0न0 127 की 2.5660 हैक्ट कुल 10.990 हैक्ट व खाता स0 14/14 के ख0न0 122/1 की 1.9100 हैक्ट कुल 12.9 हैक्ट उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं उक्त भूमि पर सायलान व तरतीबी गैरसायलान का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि आदराम, तोखराम व रामलाल पुत्र नन्दराम ने राजस्व कार्मिकों से साजबाज कर कतई नियम विरूद्ध सायलान व तरतीबी गैरसायलान के पूर्वजों की खरीदशुदा भूमि ख0न0 122 की 40 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 7 बीघा 11 बिस्वा भूमि यानि की 1.9100 हैक्ट भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली रामलाल पुत्र नन्दराम के देहान्त होने के पश्चात उसके नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि उसके वारिसान के नाम बहिब दर्ज हो गयी एव तोखाराम पुत्र नन्दराम ने उसके नाम गलत दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि को जरिये बैयनामा गैरसायल स0 6 को फरोख्त कर दिया तथा इसी प्रकार उक्त भूमि आदराम पुत्र नन्दराम ने उसके नाम दर्ज गलत हिस्सा को जरिये बैयनामा गैरसायल स0 7 को फरोख्त कर दिया लेकिन क्रेतागण गैरसायल स0 6 व 7 का उक्त भूमि पर कब्जा नही है सायलान व तरतीबी गैरसायलान के पूर्वजों द्वारा दिनांक 26.03.1971 को समस्त प्रतिफल देकर उक्त भूमि जरिये बैयनामा खरीद की गई है इसलिए ख0न0 122/1 की 1.9100 हैक्ट भूमि में से गैरसायलान संख्या 1 ता 7 का नाम कलमजन करवाकर सायलान व तरतीबी गैरसायलान अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायलान के नाम दर्ज होने के कारण गैरसायलान उक्त भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायलान व तरतीबी गैरसायलान को अपूर्णीय क्षति होगी अतः गैरसायलान के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की वे उक्त भूमि को रहन, बैय न करे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 317/316 के ख0न0 122/2 की 8.3340 हैक्ट, ख0न0 127 की 2.5660 हैक्ट कुल 10.9900 हैक्ट व खाता स0 14/14 के ख0न0 122/1 की 1.9100 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को जरिये [illegible] अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की तरफ से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र किशोर जोशी उपस्थित शे[illegible] उपस्थित नही इसलिए एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। अप्र[illegible] अधिवक्ता जवाब प्रार्थना इस आशय का पेश किया की रोही मौजा गोरखाना तहसील न[illegible] के साबिका ख.न. 107 मीन की 43.13

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.19 18:05:37 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

बीघा भूमि तिलोका पुत्र रावता जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे। एवं तिलोका पुत्र रावता जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि दिनांक 29/03/1976 को आदराम, तोखराम, रामलाल पि. नन्दराम को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा फरोख्त की थी एवं वाद भूमि के सायलान के कभी भी कब्जा काश्त में नहीं रही है तथा ना ही विवादग्रस्त भूमि के सायलान खातेदार काश्तकार है। तिलोका पुत्र रावता जाति नायक साकिन गोरखाना तहसील नोहर के कब्जा काश्त में रही है तथा बैयनामा के बाद में आदराम, तोखराम, रामलाल पि. नन्दराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर के कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं वादग्रस्त भूमि सायलान के कभी भी कब्जा काश्त में नहीं रही है। माननीय न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजस्व नोहर के निर्णय व डिक्री के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत हुआ है एवं रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता सं. 14/14 के खसरा सं. 122/1 की 1. 9100 हैक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा उतरदाता की खरीद शुदा भूमि है तथा वाद भूमि में सायलान एंव तरतीबी प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा नही है रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता सं. 14/14 के खसरा सं. 122/1 की 1.9100 हैक्टर भूमि उतरदातागण की खरीद शुदा भूमि है तथा वाद भूमि पर सायलान का कभी भी कब्जा नही रहा है एवं वाद भूमि पूर्व में आदराम, तोखराम, रामलाल पि. नन्दराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर की खरीद शुदा भूमि है एवं उपरोक्त कृषि भूमि आदराम, तोखराम, रामलाल पि. नन्दराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर की खरीद शुदा कृषि भूमि है तथा माननीय न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजस्व नोहर के निर्णय व डिक्री के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत हुआ है एवं रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता सं. 14/14 के खसरा सं. 122/1 की 1. 9100 हैक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा उतरदाता की खरीद शुदा भूमि है रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता सं. 14/14 के खसरा सं. 122/1 की 1. 9100 हैक्टर भूमि आदराम, तोखराम, रामलाल पि. नन्दराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर की वादग्रस्त भूमि अनवरत कब्जा काश्त में रही है एवं वाद वफात उनके वारिसान द्वारा जरिये वैयनामा दिनांक 31/05/2023 को विमला पत्नि गुलजारीलाल जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर एवं जसवन्त सिंह पुत्र मोहरसिंह जाति मेघवाल निवासी करणपुरा तहसील भादरा कों बैय कर दी एवं दिनांक 21/11/2022 को विनोद कुमार पुत्र लीलाधर जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर एवं सुनीता पत्नि शिशपाल जाति मेघवाल निवासी कलाना तहसील भादरा को बैयनामा करवा दिया तथा मुताबिक बैयनामा के अनुसार वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा वादग्रस्त भूमि के उतरदातागण खातेदार काश्तकार है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 107 की 50.09 बीघा भूमि किरताराम पुत्र लालुराम जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर ने अपनी उपरोक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि हनुमानसिह पुत्र कालुराम, तारूराम, पालाराम पुत्रगण रूघाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर को 7000/– रूपये सात हजार जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 26.03.1971 को [illegible] कर दी लेकिन उक्त भूमि उक्त भूमि आदराम, तोखराम व रामलाल पुत्र [illegible] से साजबाज कर कतई नियम विरूद्ध सायलान व तरतीबी गैरसायलान के पूर्वजों की खरीदशुदा भूमि ख0न0 122 की 40 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.19 18:05:37 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

10 बिस्वा भूमि में से 7 बीघा 11 बिस्वा भूमि यानि की 1.9100 हैक्ट भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली और जरिये बैयनामा बेचान कर दिया लेकिन मुताबिक बैयनामा सायलान व तरतीबी गैरसायलान का उक्त भूमि में हक हिस्सा है। उक्त भूमि गैरसायलान के नाम अवैध तरीके से नाम होने के कारण गैरसायलान उक्त भूमि को रहन, बेय करना चाहते है जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के साबिका ख.न. 107 मीन की 43.13 बीघा भूमि तिलोका पुत्र रावता जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे। एवं तिलोका पुत्र रावता जाति नायक निवासी गोरखाना तहसील नोहर ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि दिनांक 29/03/1976 को आदराम, तोखराम, रामलाल पि. नन्दराम को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा फरोख्त की थी एवं वाद भूमि के सायलान के कभी भी कब्जा काश्त में नहीं रही है माननीय न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजस्व नोहर के निर्णय व डिक्री के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत हुआ है एवं रोहीं मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता सं. 14/14 के खसरा सं. 122/1 की 1. 9100 हैक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा उतरदाता की खरीद शुदा भूमि है रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता सं. 14/14 के खसरा सं. 122/1 की 1. 9100 हैक्टर भूमि आदराम, तोखराम, रामलाल पि. नन्दराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर की वादग्रस्त भूमि अनवरत कब्जा काश्त में रही है एवं वाद वफात उनके वारिसान द्वारा जरिये वैयनामा दिनांक 31/05/2023 को विमला पत्नि गुलजारीलाल जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर एवं जसवन्त सिंह पुत्र मोहरसिंह जाति मेघवाल निवासी करणपुरा तहसील भादरा को बैय कर दी एवं दिनांक 21/11/2022 को विनोद कुमार पुत्र लीलाधर जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर एवं सुनीता पत्नि शिशपाल जाति मेघवाल निवासी कलाना तहसील भादरा को बैयनामा करवा दिया तथा मुताबिक बैयनामा के अनुसार वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा वादग्रस्त भूमि के उतरदातागण खातेदार काश्तकार है। अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त वाद भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा दिनांक 26.03.1971 को खरीद की गई है जबकि सम्वत 2013 ता 2016 की जमाबंदी के अनुसार उक्त भूमि तिलोका वल्द रावता जाति नायक के नाम दर्ज रही है [illegible] अप्रा[illegible] द्वारा प्रस्तुत निर्णय व डिक्री दिनांक 23.09.1985 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा प्रार्थीगणों के पूर्वजो की पक्ष वाद डिक्री किया गया है अप्रार्थीगण का कथन है कि नामान्तर[illegible] संख्या 382 दिनांक 07.04.1999 को दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.19 18:05:37 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु०)

किया गया है जबकि प्रार्थी द्वारा करीबन 22—23 वर्ष बाद यह वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। नामान्तरण संख्या 382 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरण सहायक कलक्टर नोहर के आदेशों की पालना मे दिनांक 07.04.199 को दर्ज किया गया है उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में क्योंकि सम्वत 2013—16 में उक्त भूमि तिलोक पुत्र रावता कौम नायक के नाम दर्ज रही है एवं किरताराम के नाम कैसे दर्ज हुई उक्त बाबत प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नही कियां गया है। आदराम आदि द्वारा न्यायालय में एक वाद पेश किया गया जिसमें हनुमान बतौर प्रतिवादी पक्षकार था उक्त वाद आदराम आदि के पक्ष मे डिक्री हुआ है एवं उक्त आदेश की पालना में आदराम आदि के नाम जरिये नामान्तरण संख्या 382 वाद भूमि दर्ज हुई है। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थीगण को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 06.06.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14/08/2025 रे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.19 18:05:37 IST
Reason: SelfAttested